डी.जी.एम (HR) पी. जी. कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बनाम

टी. वेंकट रेड्डी और अन्य।

13 अप्रैल 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहणः

भूमि से निष्काषित व्यक्तियो का पूर्नस्थापन - भूमि से निष्कासित व्यक्तियों द्वारा भूमि अधिग्रहण करने वाले विभाग में रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने का दावा - उच्च न्यायालय द्वारा उनके मामले को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा । यदि वे "इस प्रकार के रोजगार" पाने वाले अन्य व्यक्तियों के योग्य और बराबर पाये गये। उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि भूमि से निष्कासित करने वाले व्यक्तियों को कोई फायदा या माफी या छूट नहीं दी गयी है। "इस प्रकार के रोजगार" के संबंध में निर्देशित किया गया कि ये उन व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में है जो भूमि से निष्कासित है या उनके आश्रित हो।

शब्द तथा वाक्यांशः

"इस प्रकार के रोजगार"- रोजगार का भावार्थ इस संदर्भ में लिया जाना है रोजगार भूमि से निष्काषित व्यक्तियों को भूमि के निष्कासन के परिणाम स्वरूप मिला है।

प्रत्यर्थीयों की भूमि को अपीलार्थी निगम द्वारा अभिग्रहित किया गया था। उन्होने उच्च न्यायालय के समक्ष ये याचिका दायर की जिसमे अपीलार्थी को भूमि से निष्कासित व्यक्तियों के रूप में उपयूक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए उक्त मामले पर

विचार करने का निर्देश देने की मांग की गयी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने योजना /नियमों के अनूसार अपीलार्थी को विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष अपील में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि भूमि से निष्कासित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। खंडपीठ ने अभी निर्धारित किया कि भूमि से निष्कासित व्यक्तियों या उनके आश्रितो को रोजगार देने की कोई योजना मौजूद नहीं थी। तथापि प्रत्यर्थियो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी यदि वे "इसी प्रकार के रोजगार" की मांग करने वाले अन्य व्यक्तियों के योग्य व बराबर थे। इससे व्यथित होकर निगम ने वर्तमान अपील दायर की।

कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया किः

यह विचार योग्य करने तब है जब कि अन्य व्यक्ति ''इसी प्रकार के रोजगार'' की मांग कर रहे है, का एकमात्र अर्थ यह है कि भूमि से निष्कासित व्यक्ति या आश्रित व्यक्ति के रूप में रोजगार की मांग कर रहे है। इसलिए यहा यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित ''इस प्रकार के रोजगार'' का संबंध भूमि से निष्कासित व्यक्तियों या उनके आश्रितो से है। यदि कोई योजना नहीं है तो कोई रोजगार देने का सवाल ही नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्यर्थी किसी भी प्रकार की कोई फायदा या माफी या छूट के हकदार नहीं होंगे।

बुतु प्रसाद कुम्भार और अन्य बनाम स्टील ऑर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य [1995] एसयूपीपी 2 एसएससी 225, निर्दिष्ट किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1953/2007

हैदराबाद स्थित आंध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.04.2005 की रिट अपील सं. 853।

एस. बी. उपाध्याय, नितिन कुमार, एस. एम. शर्मा और शर्मिला उपाध्याय अपीलकर्ता की ओर से।

अपर्णा भट्ट, पी. रमेश कुमार, बंजु राज कुमारी, अरविंद मिनोचा, विशाल बहेती, वीणा मिनोचा और रणधीर सिंह प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया, द्वारा

न्यायाधीश डॉ. श्री अरिजीत पसायत,

1. न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील करने की अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी द्वारा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर प्रश्न उठाते हूये दायर रिट का निपटारा किया। जिसकी संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार हैः-

3. प्रत्यर्थी द्वारा उस भूमि के मालिक होने का दावा किया गया है जो अपीलार्थी द्वारा उपकेंद्र स्थापित किये जाने के लिए अभिग्रहित कर ली गयी थी। प्रत्यर्थी द्वारा यह मांग करते हूए रिट की गयी कि अपीलार्थी को निर्देशित किया जाये कि वे सुयोग्य पद पर उन्हे नियुक्ति प्रदान करे क्योंकि प्रत्यर्थी को भूमि से निष्कासित कर प्रत्यर्थी के प्रति भी अपीलार्थी की जवाब देहिता है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.01.2005 जारी किये पत्र पर भरोसा किया विद्वान एकल न्यायधीश ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वे अपीलार्थी के मामले पर उसमें बनायी गयी योजनाओं या नियमों के मामले पर चार सप्ताह की अवधि मे विचार करे।

4. अपीलार्थी द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की शुद्वता को प्रश्न करते हुए कहा कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण 1982 में किया गया था। और न तो अधिग्रहण के समय न हीं उसके बाद भूमि से निष्कासित व्यक्तियों को कोई रोजगार प्रदान करने की योजना थी, जिनकी भूमि उपकेन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से

अभिग्रहित की गयी हो। यह इंगित किया गया था कि जिस पत्र पर निर्भरता रखी गयी थी वह ऐसे भूमि से निष्कासित व्यक्तियों में से एक के अनुरोध के जवाब में जारी किया गया था। पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी निगम मे इस प्रकार की कोई योजना प्रचलित नहीं है। रिट याचिकाकर्ता का मुख्य आशय इस प्रकार था कि राज्य द्वारा नियंत्रित हर संगठन में भूमि से निष्कासित व्यक्तियों या उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जाता है और अपीलार्थी, राज्य के स्वामित्व वाला निगम होने के नाते इससे भिन्न मत नहीं रख सकते है।

5. प्रत्यर्थी ने स्थापित उपकेन्दों के लिए अर्जित भूमि के मालिक होने का दावा किया। खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता निगम में भूमि से निष्कासित या उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना मौजूद नहीं है और भूमि अंधिग्रहण के पश्चात अत्यधिक समय भी बीत चुका है। यद्यपि यह विचार था कि जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है प्राथमिकता को इस हद तक देखा जा सकता है कि जब भी अपीलकर्ता रोजगार लेता है तो प्रत्यर्थी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपनी प्रकृति से प्राथमिकता को अन्य पर वरीयता है किन्तु अन्य योग्यताएं एवं अर्हताएं समान है। प्रत्यर्थी को किसी भी प्रकार का फायदा या लाभ या छूट नहीं दिया जा सकता हैं। लेकिन जब भी अपीलकर्ता निगम अनुभव रहित पदों पर कोई रोजगार लेता है , तो पहले अपीलार्थी पात्रता व अन्य शर्तो की पूर्ति के अधीन प्राथमिकता पर विचार करेगा। आगे यह भी निर्देश दिया गया कि यदि वे योग्य पाये जाते है और ''इस प्रकार के रोजगार'' चाहने वाले अन्य व्यक्तियों के बराबर है तो प्रत्यर्थियों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार कि जब भूमि से निष्कासित या उनके आश्रितों को प्राथमिकता देने की कोई योजना संचालित ही नहीं है तो इस प्रकार प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने जवाब के माध्यम से कथन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश व खंडपीठ के आदेश क्षति पहुंचाने वाले न होने के कारण इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। रोजगार के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है और जो निर्देश दिया गया है उस पर विचार करना है।

8. इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा बुतु प्रसाद कूम्भार और अन्य बनाम स्टील ऑर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य 1995 एसयूपीपी 2 एससीसी 255 में जो कहा गया है उस पर ध्यान दिया जाना सुसंगत होगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन से इसी तरह की रिट याचिकाओं की बाढ आ जाएगी जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार ध्यान रखने योग्य निर्देश दिये गये कि अन्य व्यक्ति ''इस प्रकार के रोजगार'' की तलाश करते है तो इसका एकमात्र अर्थ है जब कोई भूमि से निष्कासित व्यक्ति या उस पर आश्रित इस प्रकार के रोजगार की मांग करता है। स्पष्टतः यदि भूमि से निष्कासित व्यक्ति या उनके आश्रितों के आधार पर नियोजन की कोई योजना है ही नहीं तो ऐसी किसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को कोई लाभ या फायदा या छूट नहीं दी जा सकती है।

9. बिना किसी लागत के तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जया सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।